न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉं जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–209 / 2017 दायर दिनांकः 19.12.2017

GCMS NO:- 2017/00370

पीठासीन अधिकारी :–शत्रुघ्न सिंह गुर्जर

1. बद्रीलाल आ0 हरनारायण जाति मीना निवासी ग्राम माणी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. रामकल्याण आ0 रामचन्द्र जाति मीना निवासी ग्राम बिशनपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–वादीगण

बनाम

1. कल्याणी बाई पत्नी रतिराम जाति रेगर हाल निवासी ग्राम बमोरी (डाबर) पोस्ट बमोरी तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 (मृतक)
2. ओमप्रकाश आ0 रतिराम जाति रेगर हाल निवासी ग्राम बमोरी (डाबर) पोस्ट बमोरी तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
3. मदन लाल आ0 रतिराम जाति रेगर हाल निवासी ग्राम बमोरी (डाबर) पोस्ट बमोरी तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
4. प्रेम बाई पुत्री रतिराम जाति रेगर हाल निवासी ग्राम बमोरी (डाबर) पोस्ट बमोरी तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
5. भूमिधारी तहसीलदार साहब नैनवां तहसील नैनवां जिला।
6. राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलेक्टर महोदय बून्दी।

––प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 88,89,92क,188 आर.टी एक्ट।

उपस्थितिः–

वादी की ओर से अभिभाषक श्री विमल कुमार साहू।

निर्णय दिनांक 30.01.2024

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बिशनपुरा पटवार मण्डल कुम्हारिया तहसील नैनवां जिला बून्दी में कृषि भूमि खसरा संख्या 181 / 1 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा स्थित है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर वादीगण ही गत 50 वर्षो से निरन्तर निर्बाध काबिज काश्त करता करते चले आ रहे है। वादीगण ही प्रत्येक वर्ष वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर फसल बोते व काटते चले आ रहे है। वर्तमान में वादीगण ने वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में सरसों की फसल बो रखी है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 के पिता रतिराम ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपने स्वयं के नाम गैरखातेदारी दर्ज करवा लिया। रेकार्ड ऑफ राईट्स जमाबन्दी में उक्त आराजी की वर्तमान प्रतिष्ठि पूर्णतः अवैध व अनाधिकृत होने से प्रभाव शून्य है। उक्त फर्जी व अवैधानिक शून्य प्रविष्ठि के आधार पर वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि को वादीगण ने आज करीब 50 वर्ष पूर्व सर्व प्रथम नोतोड से फाड कर आबाद कर काश्त करना शुरू किया था। वादीगण ने उक्त आराजी को उपजाऊ व कृषि योग्य बनाने में अब तक 4,00,000 /– रूपये भी खर्च कर दिये है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी का आज दिन तक कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 के पिता रतिराम को आवंटन नही हुआ है। आज दिन तक उक्त रतिराम को उक्त वर्णित कृषि भूमि पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा विधिवत दखल, भौतिक आधिपत्य भी नही किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 व उनके पिता रतिराम एवं प्रतिवादी संख्या 1 कल्याणी बाई गत 70 वर्ष से ही ग्राम बमोरी (डाबर) तहसील दीगोद में रह रहे है। रतिराम का देहावसान हो चुका है। यह कि उक्त आराजी पर वादीगण विगत 50 वर्ष से निरन्तर निर्बाध कब्जा काश्त होने से एवं प्रतिवादीगण का [illegible] अधिकार नही होते हुए भी प्रतिवादीगण ने फर्जी तरीके से वादीगण के साथ धोखा [illegible] कर [illegible] उक्त आराजी पर वादीगण का भौतिक अधिकार स्वीकार करते हुए [illegible] 1,07,000 /– रूपये में बैचने का इकरार करते हुए दिनांक 17.04.1999 को वादीगण [illegible] 10,500 /– रूपये प्राप्त [illegible] है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर विगत 50 वर्ष से वादीगण [illegible] निरन्तर निर्बाध काब्जा काश्त होने से कब्जा मुखालफनामा [illegible] कुल एडवर्स पजेशन के [illegible] आधार पर एवं राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रचारित व प्रसारित नोटिफिकेशन के आधार पर एवं प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी का विक्रय वादीगण को कर देने एवं वादीगण का भौतिक आधिपत्य उक्त आराजी पर स्वीकार कर लेने से वादीगण उक्त आराजी पर खातेदार आसामी की हैसियत प्राप्त कर चुके है। यह कि वादीगण को अधिकार प्राप्त है

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.09 16:49:20 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर अपने स्वयं को खातेदार घोषित करवायें, तद्नुसार रेकार्ड ऑफ राईट्स जमाबन्दी में मौजूदा प्रविष्ठियों में इन्द्राज दुरूस्त करवाकर वादीगण का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज करवाये। वादीगण को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर वादीगण के हक आधिपत्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करवाये न ही उक्त आराजी को किसी भी तरीके से किसी को भी हस्तान्तरित करें। यदि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित नही किया गया एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो वादीगण को महान एवं अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका नकद रूप में मूल्यांकन नही हो सकेगा। वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में खाता संख्या 196 ग्राम बिशनपुरा की पेश की ।

हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज आदि का अवलोकन किया। वाद पत्र में बहस सुनी गयी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज के आधार पर वादीगण का उक्त भूमि पर कोई कानूनन अधिकार नहीं है। वादीगण मात्र एडवर्स पजेशन के सिद्धान्त के आधार पर प्रतिवादीगण जो भूमि खसरा संख्या 181/1 पर गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है, के विरूद्ध खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहते है। लेकिन वादीगण ने अपने वाद को साबित करने के लिए किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये है। माननीय उच्चतम न्यायालय अतः न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.01.2019 बउनवान पूनाराम बनाम मोतीराम में भी यह निर्णित किया गया है कि रिकार्डेड खातेदारान जो मौके पर काबिज नही भी हो, तब भी भूमि पर रिकार्डेड खातेदार होने के कारण कब्जेदार पक्षकारान से अधिक अधिकार रखते है। कब्जेदार एडवर्स पजेशन के आधार पर रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध बिना पर्याप्त दस्तावेजी आधार के खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। चूंकि वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नही किये है। अतः वादीगण का वाद साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी))

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.09 15:49:20 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

अज अदालत **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ** व इजलास पीठासीन अधिकारीः– श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर

1. बद्रीलाल आ0 हरनारायण जाति मीना निवासी ग्राम माणी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. रामकल्याण आ0 रामचन्द्र जाति मीना निवासी ग्राम बिशनपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–वादीगण

बनाम

1. कल्याणी बाई पत्नी रतिराम जाति रेगर हाल निवासी ग्राम बमोरी (डाबर) पोस्ट बमोरी तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 (मृतक)
2. ओमप्रकाश आ0 रतिराम जाति रेगर हाल निवासी ग्राम बमोरी (डाबर) पोस्ट बमोरी तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
3. मदन लाल आ0 रतिराम जाति रेगर हाल निवासी ग्राम बमोरी (डाबर) पोस्ट बमोरी तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
4. प्रेम बाई पुत्री रतिराम जाति रेगर हाल निवासी ग्राम बमोरी (डाबर) पोस्ट बमोरी तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
5. भूमिधारी तहसीलदार साहब नैनवां तहसील नैनवां जिला।
6. राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलेक्टर महोदय बून्दी।

––प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 88,89,92क,188 आर.टी एक्ट।

वाद संख्याः–209/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ....**हमारे**..............बहाजरी **वादी** के अभिभाषक ....–....................................... मिनजानिब मुदई व श्री प्रतिवादी के अभिभाषक मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है किः–

वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

........................चीज ....–.................... मुबलिग ....–............................ बाबत ....–..............................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ....–..................................... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....–.. को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **30.01.2024** को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी, नैनवां

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	–	–
मुतफरिक मीजान	–	–		–	–

मुहर

उपखण्ड अधिकारी, नैनवां

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.09 15:49:20 IST
Reason: SelfAttested